

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 804]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 — अश्विन 22, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

एफ क्रमांक 1-118/राजस्व/राहत/2007/950. - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्र. 53 सन् 2005) की धारा 14 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-118/राजस्व/राहत/2007 दिनांक 20 जून 2025 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निम्नानुसार गठन करती है:-

(1)	मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन अध्यक्ष
(2)	मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन उपाध्यक्ष
(3)	श्री सुशान्त शुक्ला, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र बेलतरा	सदस्य
(4)	श्री आशा राम नेताम, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र कांकेर	सदस्य
(5)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी / सदस्य
(6)	श्री सुनील गुप्ता, तपस्या लॉज के पास, बस स्टैंड, कांसाबेल जिला जशपुर	सदस्य
(7)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
(8)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य
(9)	राहत आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन सदस्य सचिव

प्राधिकरण को ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी तथा वह ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश चन्द्राकर, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 8th October 2025

NOTIFICATION

F No. 1-118/Rev/Relief/2007/950. - In exercise of the powers conferred by Section 14 read with Section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) and in supersession of this Department's Notification No. F 1-118/Revenue/Relief/2007, dated 20th June, 2025, the State Government, hereby, constitutes the Chhattisgarh State Disaster Management Authority, as follows:-

(1)	Chief Minister, Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Chairperson
(2)	Minister of Revenue and Disaster Management Department, Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Deputy Chairperson
(3)	Mr. Shushant Shukla, MLA, Beltara Constituency	Ex-Officio Member
(4)	Mr. Asha Ram Netam, MLA, Kanker Constituency	Ex-Officio Member
(5)	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	CEO/ Ex-Officio Member
(6)	Mr. Sunil Gupta, Near Tapasya Lodge, Bus Stand, Kansabel, Distt. Jashpur	Ex-Officio Member
(7)	ACS/PS/ Secretary, Government of Chhattisgarh, Home Department	Ex-Officio Member
(8)	ACS/PS/ Secretary, Government of Chhattisgarh, Urban Development Department	Ex-Officio Member
(9)	Relief Commissioner Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Member Secretary

The Authority shall have such powers and shall perform such functions as are given to it under the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
LOKESH CHANDRAKAR, Deputy Secretary.